(9)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1798–पीबीआर/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 25–04–2013 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार बड़नगर, जिला–उज्जैन द्वारा प्रकरण कमांक 17–अ–70/11–12

.....

महिला प्रेमकुंवर बाई पति कालुसिंह जी
निवासी–ग्राम सोहड़, तहसील बड़नगर
हा0मु0 –रतलाम, म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

अंतर सिंह पिता राजसिंह जी
निवासी–ग्राम सोहड़, तहसील बड़नगर
जिला–उज्जैन, म0प्र0

.....अनावेदक

.....

श्री अशीष वैध, अभिभाषक, आवेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/8/2015 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार बड़नगर जिला–उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–04–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, प्रकरण में कायमी पर याचिकाकर्ता के अभिभाषक के तर्क सुने तथा याचिका में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। इससे प्रकट होता है कि अनावेदक की भूमि के

सीमांकन के पश्चात् सर्वे क्रमांक 183 रकबा 1.44 में से 0.02 आरे भूमि पर याचिकाकर्ता का अतिक्रमण मानते हुये तहसीलदार बड़नगर के समक्ष अनावेदक द्वारा धारा 250 के अंतर्गत आधिपत्य वापस दिलाये जाने का आवेदन दिया गया। जिस पर तहसीलदार बड़नगर ने धारा 250 (3) के तहत प्रकरण के अंतिम निराकरण पर कब्जा अनावेदक को दिये जाने का आदेश दिया। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में याचिकाकर्ता द्वारा निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ इस प्रकरण में अनावेदक की ओर से से सी0पी0सी0 की धारा 148 ए के तहत एक आवेदन दिया कि यदि प्रेमकुवंर पति कालूसिंह द्वारा किसी प्रकार के स्थंगन आदेश की मांग की जाती है तो इस सीमांकन आवेदन पर विचार करते समय उसे भी सुना जाये। आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने जाने तथा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इस प्रकरण में तहसीलदार द्वारा धारा 250 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 25–04–2013 द्वारा अंतरिम आदेश में प्रकरण के अन्तिम निराकरण तक अंतरसिंह को कब्जा दिलाने का आदेश दिया था। तत्पश्चात उक्त प्रकरण दो वर्ष पश्चात अभी तक क्या कार्यवाही हुई है, याचिकाकर्ता द्वारा नहीं बताई गई। आवेदक ने सीमांकन आदेश में त्रुटी होना बताया गया है। सीमांकन आदेश के विरूद्ध क्या आवेदक द्वारा कार्यवाही की गई, यह जानकारी भी नहीं दी गई। अतः प्रथम दृष्टया निगरानी में कोई तथ्यात्मक तथा वैधानिक बिन्दु न होने से अग्राह्य की जाती है। अतः प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर